हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम,1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) का संशोधन करने के लिए अध्यादेश।

क्योंकि हिमाचल प्रदेश विधान सभा सत्र में नहीं है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण उनके लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

1. **संक्षिप्त नाम**.––इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 है।

2. **धारा 1 का संशोधन**.––हिमाचल प्रदेश राज्य को यथा लागू ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्यांक 37) की धारा 1 की उपधारा (4) में शब्द ''बीस'' जहाँ–जहाँ आता है के स्थान पर ''तीस'' शब्द रखा जाएगा।

हस्ता0 / –
(बंडारू दत्तात्रेय),
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

हस्ता0 / –
(यशवन्त सिंह चोगल),
प्रधान सचिव (विधि)।

शिमलाः

तारीखः 2020

———————

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Himachal Pradesh Ordinance No. 3 of 2020

THE CONTRACT LABOUR (REGULATION AND ABOLITION) HIMACHAL PRADESH AMENDMENT ORDINANCE, 2020

Promulgated by the Governor of Himachal Pradesh in the Seventy-first Year of the Republic of India.

AN ORDINANCE, to amend the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970) in its application to the State of Himachal Pradesh.

WHEREAS, the Legislative Assembly of Himachal Pradesh is not in session and the Governor of the State of Himachal Pradesh is satisfied that the circumstances exists which render it necessary for him to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance:—

1. Short title.—This Ordinance may be called the Contract Labour (Regulation and Abolition) Himachal Pradesh Amendment Ordinance, 2020.

2. Amendment of Section 1.—In Section 1 of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Act No. 37 of 1970), in its application to the State of Himachal Pradesh, in sub- section 4, for the word "twenty" wherever occurs, the word "thirty" shall be substituted.

Sd/-
(BANDARU DATTATREYA)
Governor,
Himachal Pradesh.

Sd/-
(YASHWANT SINGH CHOGAL),
Principal Secretary (Law).

Shimla:

Dated …….. 2020

मैं ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत करता हं।

बंडारू दत्तात्रेय,
राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश।

माननीय राज्यपाल ने ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) हिमाचल प्रदेश संशोधन अध्यादेश, 2020 के उपर्युक्त अंग्रेजी अनुवाद को भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 (3) के अधीन राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने के लिए प्राधिकृत कर दिया है ।

यशवन्त सिंह चोगल,
प्रधान सचिव (विधि),
हिमाचल प्रदेश सरकार।